



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3499]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 3499]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का. आ. 4312 (अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 1 की उप-धारा (4) यह उपबंध करता है कि उक्त अधिनियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था को अथवा किन्हीं बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के संघ को शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए से या एक लाख रुपए से अन्यून ऐसी अन्य रकम से कम जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

और केन्द्रीय सरकार, ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों में ऋणों की वसूली के लिए आवेदन दायर करने के लिए धन संबंधी सीमा को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए करना आवश्यक मानती है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था को अथवा किन्हीं बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के संघ को शोध्य ऋण की रकम बीस लाख रुपए से अन्यून है।

[फा.सं. 3/4/2018-डीआरटी]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

S.O. 4312(E).—Whereas, sub-section (4) of section 1 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) provides that the provisions of the said Act shall not apply where the amount of debt due to any bank or financial institution or to a consortium of banks or financial institutions is less than ten lakh rupees or such other amount, being not less than one lakh rupees, as the Central Government may, by notification, specify;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to raise the pecuniary limit from ten lakh rupees to twenty lakh rupees for filing application for recovery of debts in the Debts Recovery Tribunals by such banks and financial institutions.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby specifies that the provisions of the said Act shall not apply where the amount of debt due to any bank or financial institution or to a consortium of banks or financial institutions is less than twenty lakh rupees.

[F. No. 3/4/2018-DRT]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.